आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह। (Email id-dccourt.grd@gmail.com) **Revenue Misc. Revision No.–11 / 2023–24** **डेगलाल शर्मा–बनाम–नारायण यादव** आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित

28.01.25

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। प्रस्तुत **Revenue Misc. Revision No. 11/2023-24** भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया के न्यायालय में संचालित विविध अपील वाद सं0 06 / 2022–23 डेगलाल शर्मा बनाम नारायण यादव में दिनांक 8.02.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। इस पुनरीक्षण वाद को सुनवाई हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए विभिन्न तिथियों में सुनवाई की गई।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क, अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेज, निम्न न्यायालय अभिलेख एवं आदेश तथा विद्वान सरकारी अधिवक्ता के अभीकथन के अवलोकन एवं परिशीलन के उपरांत निम्न तथ्य उल्लेखनीय हैः–

1. भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया के न्यायालय में संचालित विविध अपील वाद सं0 06 / 2022–23 डेगलाल शर्मा बनाम नारायण यादव में दिनांक 8.02.2023 को पारित आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि "अंचल अधिकारी, सरिया के अनुसार मौजा–चिरूवाँ के अन्तर्गत खाता नं0–37, प्लॉट नं0–852, रकबा–0.14 एकड़ भूमि केवाला से डेगलाल शर्मा को हासिल है। दाखिल खारिज वाद सं0 735 / 1994–95 के द्वारा नामांतरण कर जमाबंदी कायम की गई। सर्वे खतियान के अनुसार खाता नं0 37, प्लॉट नं0 852 का कुल रकबा 0.14 एकड़ है, जो खतियानी रैयत भोला मियाँ वगै0 के नाम से खतियान में अंकित है। खतियानी रैयत के वंशजों के द्वारा खतियान में धारित रकबा से अधिक भूमि का विक्रय कर दिया गया है। फलतः यह दोहरी जमाबंदी का मामला है, अतः एक जमाबंदी रद्द करने की आवश्यकता है।"

   जब भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया द्वारा इस बात की पुष्टि कर दी गई की त्रुटिपूर्ण कार्यवाही के फलस्वरुप दोहरी जमाबंदी कायम हो गई है। तत्पश्चात वाद के निष्पादन हेतु एक तार्किक आदेश पारित किया जाना अपेक्षित है।
2. सरकारी अधिवक्ता के कथना अनुसार **Judgment dated 09-08-2006 passed by the learned Single Judge in W.P.(C) No. 881 of 2002 Jagdeo Mahto vs The Commissioner, North Chotanagpur Division,**

Hazaribag & Others में उल्लेखित है कि **Any order passed without jurisdiction is a nullity-jamabandi standing in name of a particular person can be cancelled in appropriate cases where order for creating jamabandi has been passed by an authority who has no authority or jurisdiction at all or where same is found to be based on apparent error of record/facts-but, it can be done after giving prior notice and opportunity of hearing to concerned person,** के आलोक मे **Revenue authority** त्रुटिपूर्ण तरीके से कायम की गई दोहरी जमाबंदी को रद्द कर सकते है।

–: आदेश :–

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाद में **fresh hearing** कर आठ सप्ताह के अंदर तार्किक आदेश पारित किया जाय एवं तदनुसार इस वाद को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बगोदर–सरिया को **Remand** किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्षों को उपलब्ध करायी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

28/01/25

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

28/01/25

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

ज्ञापांक......111......न्या0 दिनांक......28/01/25

प्रतिलिपिः–भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–सभी अंचल अधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं उक्त आदेश के आलोक में निदेश दिया जाता है कि नयी जमाबंदी कायम करने से संबंधित मामले में स्थल निरीक्षण, सर्वे खतियान, अन्य संबंधित राजस्व दस्तावेजों, इत्यादि के आलोक में पूर्णतः संतुष्ट होकर ही अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें ताकि अनावश्यक रूप से राजस्व न्यायालय में संबंधित वाद में बढ़ोतरी नहीं हो।

Digitally signed by Naman Priyesh Lakra
Date: 2025.02.04 19:06:14 +05:30
Location: 192.168.0.123

28/01/25

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।